

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार
सिविल अपील सं.7906 / 2010

महेश चन्द बरेठ एवं अन्य

अपीलकर्तागण

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

प्रतिवादीगण

साथ में

सिविल अपील सं._____/ 2024

[@ विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) संख्या 34742 / 2013]

सिविल अपील सं.8656–8668 / 2011

सिविल अपील सं.9618 / 2011

सिविल अपील सं.10709 / 2011

सिविल अपील सं.10712 / 2011

सिविल अपील सं.10711 / 2011

सिविल अपील सं.10710 / 2011

सिविल अपील सं.6898 / 2012

सिविल अपील सं.1668 / 2012

सिविल अपील सं.1038 / 2012

सिविल अपील सं.11332 / 2011

सिविल अपील सं.11442 / 2011

सिविल अपील सं.11407 / 2011

सिविल अपील सं.4559 / 2012

सिविल अपील सं.6096–6104 / 2012

सिविल अपील सं.8661/2012

सिविल अपील सं._____ / 2024

[विशेष अनुमति याचिका (नागरिक) सं.34663/2013]

सिविल अपील सं.322/2013

सिविल अपील सं.9328-9331/2010

सिविल अपील सं.10281 / 2010

सिविल अपील सं.2800–2802 / 2011

सिविल अपील सं.2806–2808 / 2011

सिविल अपील सं.2803 / 2011

सिविल अपील सं.2804–2805 / 2011

सिविल अपील सं.2980 / 2011

सिविल अपील सं.2978 / 2011

सिविल अपील सं.2979 / 2011

सिविल अपील सं.2976 / 2011

सिविल अपील सं.2977 / 2011

सिविल अपील सं.4569 / 2011

सिविल अपील सं.3732 / 2011

सिविल अपील सं.5180 / 2011

सिविल अपील सं.5183 / 2011
सिविल अपील सं.3731 / 2011
सिविल अपील सं.5182 / 2011
सिविल अपील सं.7646 / 2011
सिविल अपील सं.1210 / 2012
सिविल अपील सं.8302 / 2010
सिविल अपील सं.2982 / 2011
सिविल अपील सं.2981 / 2011
सिविल अपील सं.2921 / 2011
सिविल अपील सं.3730 / 2011
सिविल अपील सं.4688 / 2011
सिविल अपील सं.4745 / 2011
सिविल अपील सं.5258 / 2011
सिविल अपील सं.8215 / 2013

हेडनोट्स:

प्रबोधक पद हेतु चयन प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में न होने का तर्क अस्वीकृत – दिशा-निर्देश विज्ञापन से पूर्व जारी एवं सभी आवेदकों पर समान रूप से लागू। नियम 13(5) में आयु में छूट देने का प्रावधान भेदभावपूर्ण नहीं – परियोजनाओं में कार्यरत व्यक्तियों को एक पृथक और वैध वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। चयन प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन या चयन समिति की मनमानी का कोई प्रमाण नहीं – प्रक्रिया निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण पाई गई। राज्य द्वारा शिक्षा परियोजनाओं के अनुभव को मान्यता देना नीति आधारित निर्णय माना गया, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप योग्य नहीं। सभी अपीलें खारिज की गई; हस्तक्षेप/पक्षकार बनाने की याचिकाएँ भी अस्वीकार ।

निर्णय

के. वी. विश्वनाथन. न्यायमूर्ति

1. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 34742 / 2013 और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 34663 / 2013 में अनुमति प्रदान की जाती है।
2. इस 47 अपीलों के समूह में सामान्य विधिक प्रश्न शामिल हैं। ये अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर के खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न हुई हैं। मुख्य अपील अर्थात्, सिविल अपील सं.7906 / 2010 (महेश चन्द बरेठ एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) (जिसे आगे **“महेश चन्द बरेठ”** कहा जाएगा) राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर के खंडपीठ द्वारा दिनांक 21.05.2010 को पारित डी.बी. नागरिक विशेष अपील संख्या 402 / 2009 के निर्णय से उत्पन्न हुई है। अन्य मामले या तो महेश चन्द बरेठ के समान समूह से उत्पन्न हुए हैं या महेश चन्द बरेठ पर आधारित निर्णयों से या उन निर्णयों पर आधारित हैं जो स्वयं महेश चन्द बरेठ पर आधारित थे। उपर्युक्त निर्णयों के कारण, अपीलकर्ताओं को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया गया। अपीलकर्ताओं ने “प्रबोधक” (शिक्षक) के पद पर दिनांक 31.05.2008 को जारी विज्ञापन के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती दी है। प्रबोधक के पद हेतु भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 (जिसे आगे **“नियम”** कहा जाएगा) द्वारा विनियमित हैं।

3. लगभग 20060 रिक्तियाँ विज्ञापित की गई थीं और इसके पश्चात् शीघ्र ही उन पदों को भर दिया गया। अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि उनकी उम्मीदवारी को भी प्रबोधक के पद पर नियुक्ति हेतु विचाराधीन लाया जाना चाहिए था, उन उम्मीदवारों की भाँति, जिनके पास सरकारी शैक्षिक परियोजनाओं में कार्य करने का अनुभव था, और जिन्हें अतिरिक्त बोनस अंक दिए गए थे, उसी प्रकार का मापदंड अपनाते हुए। उनकी एक अन्य शिकायत यह है कि नियम 13(५), जिसमें शैक्षिक परियोजनाओं में सेवा कर रहे व्यक्तियों को आयु में छूट प्रदान की गई है, एक ऐसा प्रावधान है जो असंवैधानिक और अमान्य है।

पृष्ठभूमि तथ्य:

4. इस मामले में शामिल मुद्दों को समझने के लिए पृष्ठभूमि तथ्यों का संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। शिक्षा कर्मी परियोजना राजस्थान राज्य में वर्ष 1987 में एक अनूठी पहल के रूप में आरंभ की गई थी, जिसमें स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी (SIDA) की सहायता प्राप्त थी। इसका उद्देश्य दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक पहुंच बनाना था, जहाँ औपचारिक प्राथमिक विद्यालय या तो मौजूद नहीं थे या निष्क्रिय थे। स्थानीय युवाओं को, जिनके पास कुछ बुनियादी शैक्षणिक योग्यताएँ थीं, चिन्हित किया गया, प्रशिक्षित किया गया, और उन्हें शिक्षा कर्मी डे स्कूलों, प्रहर पाठशालाओं (सुविधाजनक समय की स्कूलों) और आंगन पाठशालाओं (आंगन में चलने वाली स्कूलों) में बच्चों को पढ़ाने के लिए निरंतर शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया गया।

5. शिक्षा कर्मि परियोजना की अवधारणा (जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड पर रखे गए अध्ययन दस्तावेज़ से स्पष्ट है) यह इंगित करती है कि यह परियोजना इस धारणा पर आधारित थी कि स्थानीय समुदाय से संबंधित बिना जूते वाले शिक्षक (Barefoot Teachers), जो स्थानीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करते हैं, यदि उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाए, तो वे औपचारिक शैक्षणिक योग्यताओं की कमी को पार कर सकते हैं।
6. उन्हें एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था जो प्रबंध पुस्तिकाओं में निर्दिष्ट थी, और जब ग्राम सभा ने शिक्षा कर्मि स्कूल की स्थापना पर सहमति दी, तब स्पॉट टेस्ट आयोजित किए गए ताकि शिक्षा कर्मियों की पहचान की जा सके। शिक्षा कर्मि परियोजना का लोक जंबिश परियोजना और ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) के साथ महत्वपूर्ण मेल था।
7. शिक्षा कर्मि परियोजना वंचित समुदायों के बच्चों तक पहुंचने में काफी सफल रही। विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं में कार्यरत व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पढ़ाने और शिक्षा के लिए प्रेरित करने का समृद्ध अनुभव प्राप्त होता था। इन कार्यकर्ताओं को शिक्षा कर्मियों के नाम से नियुक्त किया गया ताकि शिक्षक अनुपस्थितता, कमजोर नामांकन, उच्च ड्रॉपआउट दरों और शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। इन कार्यकर्ताओं को केवल एक निर्धारित मानदेय ही मिलता था। इन परियोजनाओं को प्रारंभ करने का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण तेज करना था।⁸³ वें संविधान संशोधन के पारित होने और निर्वाचित पंचायत संरचना

की स्थापना के पश्चात्, यह परियोजना पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करने लगी।

नियमों का निर्माण:

8. जब स्थिति इस प्रकार थी, तब एक कैबिनेट नोट तैयार किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि दूरदराज के क्षेत्रों/कठिन भू-भाग/छोटे गाँवों (जिसे ढाणी कहा जाता है) में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की पहुँच प्रदान करने हेतु प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक के नाम से एक नया नियमित संवर्ग बनाया जाए। पहले चरण के रूप में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 में संशोधन किया गया और धारा 89(2)(v) में 'प्रबोधक' और 'वरिष्ठ प्रबोधक' को एक ग्रेड के रूप में जोड़ा गया। धारा 89(2)(v), (5) और 6B इस प्रकार है:

“89. राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद सेवा की स्थापना।

(2) सेवा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक श्रेणी को विभिन्न ग्रेडों में विभाजित किया जा सकता है, और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

(v) प्रबोधक और वरिष्ठ प्रबोधक।

(5) सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियाँ की जाएंगी:

a. प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा; या

b. पदोन्नति द्वारा; या

c. स्थानांतरण द्वारा।

6B. उपधारा (2) के खंड (v) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्तियाँ संबंधित जिले के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सह-ज़िला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएंगी, उन व्यक्तियों में से जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार गठित भर्ती समिति द्वारा पदों के लिए चयनित किए गए हों:

9. तत्पश्चात, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 102 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 बनाए गए। इन नियमों की कुछ प्रासंगिक धाराएं निम्नलिखित हैं:

“2. परिभाषाएँ:

इन नियमों में जब तक कि प्रसंग अन्यथा न हो –

(c) “प्रत्यक्ष भर्ती” का अर्थ है इन नियमों के भाग IV के अनुसार की गई भर्ती;

(k) “शिक्षण अनुभव” का अर्थ प्रत्यक्ष भर्ती के उद्देश्य से किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था या परियोजना में पर्यवेक्षक क्षमता में प्राप्त अनुभव को सम्मिलित करता है;

6. भर्ती की विधियाँ:

नियमों के प्रवर्तन के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित विधियों से की जाएगी:

(a) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा, इन नियमों के भाग IV के अनुसार,

(b) पदोन्नति द्वारा, इन नियमों के भाग V के अनुसार।

13. आयु:

अनुसूची में उल्लिखित किसी पद पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 23 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आने वाली 1 जनवरी को मानी जाएगी:

बशर्ते

(v) ऐसे व्यक्ति जो राज्य की शैक्षिक परियोजनाओं जैसे कि राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षा कर्मी बोर्ड/लोक जंबिश परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान/ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में सेवा कर रहे हों, उन्हें आयु सीमा के अंतर्गत माना जाएगा यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा के अंतर्गत थे, भले ही प्रत्यक्ष भर्ती के समय उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो।

14. शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएँ:

अनुसूची में निर्दिष्ट पदों के लिए प्रत्यक्ष भर्ती हेतु उम्मीदवार को, अपेक्षित अनुभव के अतिरिक्त –

(i) अनुसूची के कॉलम 6 में दी गई योग्यता और अनुभव, तथा

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, होना आवश्यक होगा।

25. समिति की अनुशंसा:

समिति उन उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी, जिन्हें वे संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानती है, और इसे योग्यता क्रम में क्रमबद्ध कर नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी:

बशर्ते यह भी प्रावधान है कि समिति विज्ञापित रिक्तियों के 50% तक उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम आरक्षित सूची में रख सकती है। ऐसे उम्मीदवारों के नाम, यदि आवश्यक हो, तो योग्यता क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी को, मूल सूची अग्रेषित करने की तिथि से 6 माह के भीतर, अनुशंसा किए जा सकते हैं

अनुसूची

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की विधि प्रतिशत सहित	वह पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु योग्यता एवं अनुभव	सीधी भर्ती हेतु योग्यता एवं अनुभव
2	प्रबोधक (4500-7000)	100% सीधी भर्ती द्वारा	-	-	सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष, जिसमें दो वर्ष की अवधि के मूल शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अथवा दो वर्ष की अवधि का प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। या प्राथमिक शिक्षा में स्नातक (बी. एल. एड.) या स्नातक डिग्री के साथ शिक्षा में स्नातक (बी. एड.) या इसके समकक्ष, और किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/शैक्षणिक परियोजना में कम से कम 5 वर्षों का निरंतर शिक्षण अनुभव (किसी भी प्रकार के अंतराल के बिना)।

दिशा-निर्देश दिनांक 27.05.2008 एवं विज्ञापन दिनांक 31.05.2008:

10. विज्ञापन दिनांक 31.05.2008 को जारी किए जाने से पूर्व, दिनांक 27.05.2008 को प्रबोधक के चयन हेतु उपयुक्त दिशा-निर्देशों को तैयार किया गया। इन दिशा-निर्देशों में बोनस अंक प्रदान करने सहित विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रावधान थे। इन दिशा-निर्देशों में शैक्षणिक योग्यताओं और वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों को भी शामिल किया गया था, जैसे कि: यदि किसी आवेदक के 01.06.2002 या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हैं तो उसे अपात्र माना जाएगा; यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक विवाह हैं, तो भी अपात्रता लागू होगी; यदि किसी व्यक्ति ने विवाह के समय दहेज प्राप्त किया है, तो उसे भी अपात्र माना जाएगा। दिशा-निर्देशों में जाति प्रमाण पत्र संबंधी आवश्यकताएँ, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण जिसमें से 5% विधवाओं के लिए, आयु सीमा और उसमें छूट के विषय में भी प्रावधान किए गए। इनमें से एक प्रावधान इस प्रकार था:

“चयन प्रक्रिया:

चयन पूरी तरह से साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित हैं।

इन अंकों का वर्गीकरण इस प्रकार है:-
 सामान्य ज्ञान – अधिकतम 40 अंक
 व्यक्तित्व – अधिकतम 35 अंक
 अनुभव – अधिकतम 25 अंक
 अधिकतम 10 अंक — प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक, अधिकतम 5 वर्षों के लिए। यदि अनुभव राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के अंतर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी का है, तो प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक प्रदान किए जाएंगे।”

11. इसके पश्चात, दिनांक 31.05.2008 को प्रबोधक पद के जिला-वार चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया और चयन की प्रक्रिया आरंभ हुई। अपीलकर्ता, जो कि मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक हैं, उन्होंने उन उम्मीदवारों को परियोजना अनुभव के लिए अतिरिक्त बोनस अंक दिए जाने के कारण रिट याचिकाएँ दायर कीं। कुछ रिट याचिकाओं में उन आवेदकों को जो शैक्षणिक परियोजनाओं में कार्यरत थे, उन्हें दी गई आयु सीमा में छूट को भी चुनौती दी गई।

अपीलकर्ताओं की दलीलें:

12. अपीलकर्ताओं का कहना है कि नियम 13(५), जो केवल कुछ सरकारी परियोजनाओं के शिक्षकों को आयु में छूट प्रदान करता है, जबकि अन्य समान स्थिति वाले शिक्षकों को इससे वंचित करता है, भेदभावपूर्ण है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। जहां तक बोनस अंकों के प्रदान करने का प्रश्न है, विद्वान अधिवक्ता ने नियम 2(k) पर भरोसा करते हुए, जो शिक्षण अनुभव से संबंधित है, यह

तर्क दिया कि सरकारी परियोजनाओं में शिक्षण अनुभव रखने वाले पैरा-शिक्षकों को अतिरिक्त अंक देना नियमों के विरुद्ध (ultra vires) है।

13. विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि 31.05.2008 का विज्ञापन बोनस अंकों के प्रावधान को स्वीकृत नहीं करता, और 27.05.2008 की प्रशासनिक दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक रूप में प्रकाशित नहीं किया गया था। यह दलील दी गई कि “खेल के नियम उस समय बदले गए जब खेल पहले ही शुरू हो चुका था”। यह भी तर्क दिया गया कि यदि विधायिका का उद्देश्य केवल परियोजना में कार्यरत पैरा-शिक्षकों के लिए यह पद आरक्षित करना होता, तो इसे निजी और अन्य शिक्षकों के लिए खुला ही नहीं रखा जाता। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि नियमों में कहीं भी बोनस अंक देने का प्रावधान नहीं है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परियोजना अनुभव के लिए अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने का प्रभाव, वास्तव में, सभी परियोजना नियुक्तियों को परोक्ष रूप से समाहित (absorb) करने जैसा है और यह नियमों के विपरीत है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बेदानगाटालूकडार बनाम सैफुद्दुल्लाह खान एवं अन्य. (2011) 12 SCC 85 के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह कहा कि चयन प्रक्रिया को निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार ही सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने राज्य महाराष्ट्र बनाम राज कुमार, (1982) 3 SCC 313 का भी उल्लेख किया।

राज्य की दलीलें:

14. राज्य ने यह दलील दी कि नियमों के प्रारंभ का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है; यह कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के एक सराहनीय उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह नियम बनाए गए; कि इन शैक्षणिक परियोजनाओं की पहलों के कारण राजस्थान में साक्षरता दर में 1991 से 2011 के बीच 38% से बढ़कर 66% तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई; कि उक्त शैक्षणिक परियोजनाओं में कार्यरत व्यक्तियों को दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने का मूल्यवान अनुभव प्राप्त था और उनका बच्चों से प्रत्यक्ष संपर्क और जुड़ाव था। राज्य का यह भी कहना था कि ये परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों विशेषतः छोटे गांवों में शिक्षकों की अनुपस्थिति की समस्या को कम करने के लिए शुरू की गई थीं। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों से बच्चों के ड्रॉपआउट की समस्या थी, और इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए शैक्षणिक परियोजनाओं के रूप में कई पहलों की शुरुआत की गई।
15. राज्य के अनुसार, 'प्रबोधक' की भूमिका बच्चों को स्कूल जाने के लिए सहूलियत और प्रोत्साहन प्रदान करना था। राज्य ने यह दलील दी कि चयन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अनुभव के लिए अंक प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश हमेशा विधिक रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं। सभी प्रबोधक, जिन्हें नियुक्त किया गया, उन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हुई थी, और राज्य के अनुसार यह बात विज्ञापन से स्पष्ट थी, जिसमें न्यूनतम योग्यता से संबंधित एक विशेष शर्त शामिल थी, अर्थात्: प्राथमिक कक्षा के लिए: बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट (BSTC) माध्यमिक कक्षा के लिए: बैचलर

ऑफ एजुकेशन (B.Ed.)इन योग्यताओं के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की पात्रता थी।

16. राज्य ने यह दलील दी कि परियोजनाओं में प्राप्त अनुभव का प्रबोधक की अवधारणा से उचित संबंध (reasonable nexus) है, जिसके लिए नवगठित प्रबोधक नियमों एवं संवर्ग की रचना की गई थी। जहाँ तक आयु में छूट का प्रश्न है, राज्य ने यह तर्क दिया कि यह उन व्यक्तियों के लिए थी जिन्होंने आयु सीमा के भीतर परियोजनाओं में सेवा आरंभ की थी, परंतु अब अधिक आयु वाले हो गए हैं। राज्य के अनुसार, उद्देश्य यह नहीं था कि इन व्यक्तियों को विचार से बाहर कर दिया जाए, जिन्होंने शैक्षणिक परियोजनाओं में वर्षों तक कार्य किया है। अतः, उन्हें आयु में छूट प्रदान की गई। राज्य के अनुसार, इसमें कोई भी भेदभावपूर्ण तत्व नहीं है। इस दलील के समर्थन में, राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं ने **सत्यदेव भगौर एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (2022) 5 SCC 314** पर भरोसा किया।

17. माननीय एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पीड़ित होकर अपीलकर्ता हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। हमने उन पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना है जो स्वयं को पक्षकार बनाने अथवा हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

विचारार्थ प्रश्न:

18. विचार हेतु दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

- i. क्या नियम 13(५) (Rule 13(v)) जिसमें शैक्षणिक परियोजनाओं में कार्यरत व्यक्तियों को आयु में छूट प्रदान की गई है, भेदभावपूर्ण है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है?
- ii. क्या परियोजना में कार्यरत आवेदकों को बोनस अंक प्रदान किया जाना भेदभावपूर्ण है और नियमों के विरुद्ध (ultra vires) है? क्या दिनांक 27.05.2008 के दिशा-निर्देश, जो परियोजना अनुभव रखने वाले आवेदकों और अन्य आवेदकों के लिए भिन्न आधार पर बोनस अंक प्रदान करने की अनुमति देते हैं, किसी अन्य कारण से अमान्य हैं?

प्रश्न संख्या 1:

19. इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नियम 13 का पूर्ण अवलोकन आवश्यक है:

“13. आयु:

अनुसूची में उल्लिखित किसी पद पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 23 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को मानी जाएगी:

परंतु:-

- i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- ii. सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- iii. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- iv. सेवानिवृत्त सैनिकों तथा रिज़र्व में स्थानांतरित किए गए रक्षा सेवा कर्मियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
- v. राज्य में शैक्षणिक परियोजनाओं जैसे कि राजीव गांधी पाठशाला / शिक्षा कर्मी बोर्ड / लोक जंबिष परियोजना / सर्व शिक्षा अभियान / जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कार्यरत व्यक्ति को आयु सीमा के अंतर्गत माना जाएगा, यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा के अंतर्गत थे, भले ही प्रत्यक्ष भर्ती के समय उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो।
- vi. एनसीसी में कैडेट प्रशिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा में एनसीसी में दी गई सेवा के बराबर छूट दी जाएगी, और यदि परिणामस्वरूप आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत माना जाएगा।
- vii. रिहा किए गए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, जो सेना से सेवा मुक्त हो चुके हैं, उन्हें भी आयु सीमा के अंतर्गत माना जाएगा भले ही वे समिति के समक्ष उपस्थित होते समय आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन प्राप्त करते समय पात्र थे।

viii. विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

20. न्यूनतम और अधिकतम आयु की आवश्यकता निर्धारित करना एक नीतिगत निर्णय है।

इस मामले में, उक्त निर्णय नियम 13 में सम्मिलित है। नियम का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। परिशिष्ट (Proviso) में कई श्रेणियों को छूट प्रदान की गई है: परिशिष्ट के खंड (i) के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। खंड (ii) में सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई है। खंड (iii) में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी गई है। खंड (iv) के अनुसार, सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों एवं रिज़र्व कर्मियों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है।

21. इसके पश्चात खंड (v) आता है, जिसमें कहा गया है कि राजीव गांधी पाठशाला, शिक्षा कर्मी बोर्ड, लोक जंबिश परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जैसी राज्य की शैक्षणिक परियोजनाओं में कार्यरत व्यक्ति को आयु सीमा के भीतर माना जाएगा, यदि वे प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा के अंतर्गत थे, भले ही प्रत्यक्ष भर्ती के समय उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो। उसके बाद खंड (vi) आता है, जो कहता है कि कैडेट प्रशिक्षकों के लिए उपर्युक्त आयु सीमा में एनसीसी सेवा अवधि के बराबर छूट दी जाएगी, और यदि परिणामी आयु निर्धारित अधिकतम सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, तो उन्हें निर्धारित सीमा के भीतर माना जाएगा। खंड (vii) में

कहा गया है कि रिहा किए गए आपातकालीन कमीशनधारी और शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी, यदि वे सेना में कमीशन प्राप्त करते समय पात्र थे, तो समिति के समक्ष उपस्थित होते समय आयु सीमा पार कर लेने पर भी उन्हें आयु सीमा के भीतर माना जाएगा। अंत में खंड (viii) में यह प्रावधान किया गया है कि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

22. अपीलकर्ताओं की चुनौती केवल उप-खंड (v) तक सीमित है। हम यह पाते हैं कि सामान्यतः सभी प्रावधान, जिसमें उप-खंड (v) भी सम्मिलित है, न तो मनमाने हैं और न ही भेदभावपूर्ण हैं। जहाँ तक खंड (v) का प्रश्न है, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया है, नियमों के अधिनियमन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्वयं यह औचित्य प्रदान करती है कि शैक्षणिक परियोजनाओं में कार्यरत व्यक्तियों को छूट दी जाए, यदि वे यह शर्त पूरी करते हैं कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय वे आयु सीमा के अंतर्गत थे।
23. जैसा कि राज्य के प्रतिवाद हलफनामे (counter affidavit) से संकेत मिलता है, ये परियोजनाएँ दूरस्थ क्षेत्रों में अनुपस्थित शिक्षकों की समस्या से निपटने के लिए बनाई गई थीं, जो ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के लिए एक गंभीर संकट उत्पन्न कर रही थी। पैरा शिक्षक, जैसा कि उन्हें कहा जाता था, कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। उन्हें दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों से सीधे संवाद का लाभ प्राप्त था। उन्हें केवल मानदेय प्राप्त होता था। ये परियोजनाएँ राज्य में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सशक्त करने में एक बड़ी भूमिका निभा रही थीं। पैरा शिक्षकों ने बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। इसी पृष्ठभूमि में, 'प्रबोधक' और 'वरिष्ठ प्रबोधक' के ग्रेड को संवर्गीकृत (encadred) किया गया और अलग नियम अधिनियमित किए गए।

24. इसमें कोई संदेह नहीं कि नियमों के अंतर्गत आवेदन का अवसर उन सभी को दिया गया, जिनके पास अनिवार्य योग्यता थी और जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण अनुभव रखते थे — शैक्षणिक परियोजनाओं के अतिरिक्त। हालाँकि, इसका यह अर्थ नहीं है कि परियोजनाओं में सेवा देने वाले व्यक्ति एक पृथक वर्ग का गठन नहीं करते। यह एक वैध वर्गीकरण (valid classification) था, जो एक बौद्धिक आधार (intelligible differentia) पर आधारित था, जो कि परियोजना अनुभव रखने वाले आवेदकों और ऐसा अनुभव न रखने वालों के बीच भेद करता है। इसके अतिरिक्त, यह भिन्नता नियमों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ी हुई थी। वास्तव में, प्रबोधक का कार्य ठीक वही कार्य था जो पैरा शिक्षकों ने परियोजनाओं में किया था, और यदि सरकार को यह लगा कि उनके द्वारा प्राप्त अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, और इस उद्देश्य से उन्हें आयु में छूट दी जाए, बशर्ते कि परियोजना में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय वे आयु सीमा के अंतर्गत थे, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं मानी जा सकती।
25. इसी प्रकार की चुनौती पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने **संघ भारत एवं अन्य बनाम शिवबचन राय, (2001) 9 SCC 356** में यह निर्णय दिया कि किसी पद के लिए आयु सीमा निर्धारित करना, तथा यह तय करना कि उस सीमा में कितनी छूट दी जा सकती है, ये विषय मूलतः नीति निर्धारण (policy matters) के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि जब वह नियम बना रही हो, तो वह ऐसी आयु सीमाएँ निर्धारित कर सकती है, या यह तय कर सकती है कि उसमें कितनी छूट दी जाए। इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करते

हुए, हम पाते हैं कि नियम 13(५) में दी गई छूट न तो मनमानी है और न ही अव्यवहारिक (unreasonable)।

प्रश्न संख्या 2:

26. जहाँ तक बोनस अंक प्रदान करने का प्रश्न है, दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह विज्ञापन से पहले जारी किए गए थे और इसमें यह प्रावधान था कि अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 25 अंकों में से, सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर 2 अंक दिए जाएंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 10 अंक थी। हालाँकि, यदि अनुभव राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी का था, तो प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक दिए जाने थे। यहाँ तक कि यदि अनुभव का कोई अंश परियोजना से था, तो उस हद तक अतिरिक्त अंक सभी आवेदकों को प्रदान किए गए।
27. आवेदन पत्र में एक विशिष्ट कॉलम था, अर्थात् कॉलम संख्या 14, जिसमें अनुभव का विवरण पूछा गया था। फॉर्म में नियोक्ता का नाम और उस संस्था का पता भी मांगा गया जहाँ सेवा की गई थी। उसके पश्चात, एक अन्य कॉलम में यह पूछा गया था कि किस पद पर कार्यरत थे और किस अवधि के दौरान वेतन/मानदेय प्राप्त किया गया।

28. इसके अतिरिक्त, आयु में छूट का जो औचित्य प्रस्तुत किया गया है, वही औचित्य अतिरिक्त बोनस अंक प्रदान करने के लिए भी उपलब्ध है। वास्तव में, जैसा कि ऊपर की पृष्ठभूमि से स्पष्ट है, 'प्रबोधक' और 'वरिष्ठ प्रबोधक' पदों की रचना का उद्देश्य था कि राज्य को उन परियोजनाओं के लाभ प्राप्त हो सकें। साथ ही, सभी को आवेदन का अवसर प्रदान किया गया — केवल यह अंतर था कि कार्यपालक निर्देशों के माध्यम से परियोजना अनुभव के लिए अतिरिक्त अंक प्रदान किए गए। कार्यपालक दिशा-निर्देशों ने केवल नियमों की पूरक भूमिका निभाई, उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया।
29. इसके अलावा, नियम 13(५) के अंतर्गत, जिसकी वैधता को हमने स्वीकार किया है, इससे यह प्रमाणित होता है कि परियोजना कार्य से प्राप्त अनुभव को नियमों ने विशेष महत्व प्रदान किया है, क्योंकि यह कार्य प्रबोधक के कार्य स्वरूप के अनुरूप था। इसके अतिरिक्त, नियम 25 के अंतर्गत समिति को उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करनी थी जिन्हें वे नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानते थे।
30. **श्रीनिवास के. गौड़ा बनाम कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एवं अन्य. (2022) 1 SCC 49** में, जूनियर लैब तकनीशियन के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। पात्रता और आवश्यकताएं निर्धारित की गई थीं। चयन के समय, चयन समिति ने यह निर्णय लिया कि साक्षात्कार हेतु निर्धारित 15% अंकों में से 10% अंक उन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जिनके पास चिकित्सा महाविद्यालय के शिक्षण अस्पतालों में कार्य अनुभव और/या अतिरिक्त प्रशिक्षण था, और विशेष रूप से सरकारी/स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य कर

चुके उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। शेष 5% अंक उम्मीदवार के व्यक्तित्व, प्रस्तुति और प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। मिनट्स में यह उल्लेख था:

“4. यह निर्णय लिया गया कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन हेतु, कार्य अनुभव और/या अतिरिक्त प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर 10 अंकों तक का अनुपातिक वेटेज उन उम्मीदवारों को दिया जाए, जिन्होंने चिकित्सा महाविद्यालयों के शिक्षण अस्पतालों में कार्य अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, और विशेष रूप से जिन्होंने सरकारी/स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य किया हो। यह सहमति बनी कि इन संस्थानों में कार्य की प्रकृति कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, हुबली की कार्य स्थितियों से सर्वाधिक मेल खाती है, और इसलिए ऐसे अनुभव वाले उम्मीदवार सबसे उपयुक्त माने जाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि उम्मीदवार के व्यक्तित्व एवं प्रस्तुति/प्रदर्शन हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित किए जाएं।”

(बल दिया गया अंश)

31. उस मामले में अपीलकर्ता का चयन हुआ था और उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा चयन रद्द कर दिया गया था। अपीलकर्ता को अनुभव श्रेणी में 9.5 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि उसकी नियुक्ति को चुनौती देने वाले रिट याचिकाकर्ता को अनुभव के आधार पर केवल 1 अंक प्राप्त हुआ था। अपील में, अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया कि चयन समिति, जो एक विशेषज्ञ निकाय (expert body) है, को अंक आवंटित करने का पूर्ण

अधिकार है, और अपीलकर्ता का सरकारी/स्वायत्त चिकित्सा संस्थानों में अनुभव था। रिट याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया कि अंकों का विभाजन और वर्गीकरण करने का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस न्यायालय ने, अपील को स्वीकार करते हुए, अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित कहा:

“19. इस पृष्ठभूमि में हमें यह तय करना है कि क्या अपीलकर्ता को अनुभव और व्यक्तित्व की श्रेणी में दिए गए अंक मनमाने हैं। अपीलकर्ता के पास आवेदन पत्र जमा करने के समय बापूजी मेडिकल कॉलेज, देवणगेरे (एक निजी संस्था) में 1 वर्ष का कार्य अनुभव और प्रथम उत्तरदाता के साथ 3 वर्षों का कार्य अनुभव था। दूसरी ओर, उत्तरदाता के पास आवेदन के समय एक डॉक्टर के अधीन निजी प्रैक्टिस में 6 महीने का अनुभव था। न केवल अपीलकर्ता के पास अधिक वर्षों का कार्य अनुभव था, बल्कि उसका अनुभव एक सरकारी संस्था में था। अतः, तीसरे उत्तरदाता और अपीलकर्ता को दिए गए अंक चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंड से संबंधित थे। यह तीसरे उत्तरदाता का मामला नहीं था कि अपीलकर्ता को कम अनुभव होने के बावजूद अधिक अंक दिए गए। दोनों उम्मीदवारों को दिए गए अंकों की तुलना चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार करने पर, चयन समिति पर कोई दुर्भावना (mala fide) नहीं थोपी जा सकती। न ही कोई स्पष्ट त्रुटि या विकृति (perversity) पाई जाती है। न्यायालय चयन समिति के निर्णय की अपील में नहीं बैठता।”

32. वर्तमान मामले में भी, हम पाते हैं कि वर्तमान विशेष तथ्यों के आलोक में अपनाए गए मानदंड में कोई स्पष्ट त्रुटि या विकृति नहीं है। राज्य सरकार या चयन समिति पर कोई दुर्भावना भी नहीं थोपी जा सकती।
33. **सत्यदेव भगौर (*supra*)** वह मामला था जिसमें राजस्थान राज्य ने एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने निम्नलिखित में कार्य किया हो: सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षक निधि, एनआरएचएम मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसाइटी, संविलित रोग निगरानी परियोजना, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान, उन्हें प्राप्त अनुभव के अनुसार बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रावधान यह था कि: 1 वर्ष का अनुभव = 10 अंक, 2 वर्षों का अनुभव = 20 अंक, 3 वर्षों का अनुभव = 30 अंक. इस अधिसूचना को उन व्यक्तियों द्वारा चुनौती दी गई थी जिन्होंने अन्य राज्यों में एनआरएचएम योजना के तहत अनुबंध पर कार्य किया था। उन्होंने यह निर्देश मांगा था कि उनके अनुभव प्रमाणपत्र को भी मान्य माना जाए ताकि वे बोनस अंकों के पात्र बन सकें। जबकि एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाएँ स्वीकार कर लीं, खंडपीठ ने उन्हें पलट दिया, और पीड़ित याचिकाकर्ता अपील में आए। न्यायालय ने यह परीक्षण करते हुए कि क्या अन्य राज्यों के एनआरएचएम कर्मचारियों को बोनस अंक दिए जाने चाहिए, यह ठुकरा दिया और कहा कि नीति के मामलों में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने में संयम बरतना चाहिए, जब तक नीति स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण या मनमानी न हो। यह भी कहा गया कि यदि राज्य यह दर्शा सके कि नीति के क्रियान्वयन में एक बौद्धिक अंतर (*intelligible differentia*)

है और यह अंतर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ा हुआ है, तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस मामले के तथ्यों पर न्यायालय ने कहा:

“20. इससे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जगदीश प्रसाद [Jagdish Prasad v. State of Rajasthan, 2016 SCC OnLine Raj 646] में खंडपीठ ने रिकॉर्ड का परीक्षण कर यह पाया कि राजस्थान सरकार ने अनुबंध पर कार्य करने वाले व्यक्तियों और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य करने वालों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें जनजातीय और शुष्क क्षेत्र शामिल हैं, में कार्य की विशिष्ट प्रकृति से संबंधित थे। खंडपीठ ने यह भी पाया कि ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य था, और इसमें सम्मिलित न होने की स्थिति में सेवा अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया जाता था। यह कहा गया कि राजस्थान राज्य में कार्य का विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों से पृथक वर्ग में आते हैं जिन्हें राज्य में कार्य करने का अनुभव नहीं है। यह पाया गया कि राज्य की नीति द्वारा दिया गया लाभ केवल अनुभव के आधार पर थोड़ा अधिक वेटेज देना था, और सभी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया की कसौटी से गुजरना अनिवार्य था। खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अन्य राज्यों में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की तुलना राजस्थान में कार्यरत उम्मीदवारों से नहीं की जा सकती, क्योंकि हर राज्य की अपनी समस्याएँ होती हैं और उन विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति एक अलग स्तर पर होते हैं।”

34. हम पाते हैं कि उक्त निर्णय में स्थापित सिद्धांत इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं, और इससे राज्य सरकार की कार्रवाई का समर्थन होता है।

35. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत इस न्यायालय का **राज कुमार (उल्लेखित ऊपर)** में दिया गया निर्णय इस मामले में स्पष्ट रूप से प्रासंगिक नहीं है। वह मामला उस नियम से संबंधित था, जिसमें यह प्रावधान था कि जो भी व्यक्ति एस.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण करता है और जिसे ग्रामीण उम्मीदवार माना जाता है, उसे लोक सेवा आयोग द्वारा प्रत्येक विषय में 10% अंक वेटेज के रूप में दिए जाएंगे। यह भी प्रावधान था कि साक्षात्कार (वाइवा वॉइस) बोर्ड उम्मीदवार की ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की उपयुक्तता को परखने के लिए प्रासंगिक प्रश्न पूछेगा और यह जांचेगा कि क्या उस उम्मीदवार को ग्रामीण समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान है या नहीं। “ग्रामीण उम्मीदवार” की परिभाषा यह थी कि वह ग्रामीण क्षेत्र से आता हो और उसने एस.एस.सी. परीक्षा किसी ऐसे गांव या ‘C’ श्रेणी की नगरपालिका वाले नगर से उत्तीर्ण की हो। नियम का प्रकट उद्देश्य यह था कि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाए जिन्हें ग्रामीण जीवन, उसकी समस्याओं, प्रवृत्तियों और ग्रामवासियों के कार्य व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो। लेकिन इस न्यायालय ने यह पाया कि नियम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करता, क्योंकि नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसने कभी गांव में निवास नहीं किया हो, वह केवल गांव से परीक्षा देकर ग्रामीण उम्मीदवार बन सकता है और चयन के लिए पात्र हो सकता है। न्यायालय ने यह भी पाया कि वर्गीकरण और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बीच कोई तार्किक संबंध (nexus) नहीं था। न्यायालय ने यह भी माना कि वेटेज अंकों की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि जब साक्षात्कार में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की उपयुक्तता जांचने के लिए प्रश्न पूछे ही जा रहे थे, तब अतिरिक्त वेटेज देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिससे अयोग्यता को योग्यता में और योग्यता को अयोग्यता में बदला जा सकता था। उस मामले के तथ्यों के आधार पर, न्यायालय ने

पाया कि वेटेज का नियम स्पष्ट रूप से अनुचित और पूरी तरह से मनमाना था। अतः, वह निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता।

36. इसी प्रकार, **कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, (2002) 6 SCC 562** में दिया गया निर्णय भी वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता। इस न्यायालय ने उस मामले में यह कहा था कि जिले के निवासी और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को बोनस अंक प्रदान करना ऐसा कार्य है जो अनुचित भेदभाव की श्रेणी में आता है। न्यायालय ने यह पाया कि ऐसे विशेषाधिकार देने के लिए कोई तार्किक आधार नहीं था जैसा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री से स्पष्ट था। न्यायालय ने यह भी पाया कि राज्य द्वारा दिए गए प्रकट कारण अस्तित्वहीन या अप्रासंगिक थे और उनका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से कोई संबंध (nexus) नहीं था। न्यायालय ने यह भी पाया कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी कौन हैं, यह निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड स्थापित नहीं किया गया था। **कैलाश चंद शर्मा (supra)** में न्यायालय ने **राज कुमार (supra)** में दिए गए निर्णय का ही अनुसरण किया।

37. **ऑफिसियल लिक्विडेटर बनाम दयानंद एवं अन्य, (2008) 10 SCC 1** में दिया गया निर्णय, जिसे अपीलकर्ताओं ने उद्धृत किया है, का इस मामले में उठाए गए मुद्दों से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत एक अन्य मामला है **बेदांगा तालुकदार (supra)**। अपीलकर्ताओं ने इस निर्णय पर यह तर्क रखने के लिए भरोसा किया कि विज्ञापन में निहित शर्तों और नियमों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती, और यदि छूट देने की शक्ति है भी, तो उसे विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना आवश्यक है। हालाँकि, यह निर्णय भी वर्तमान मामले पर पूरी तरह से अनुप्रयुक्त (wholly inapplicable) है। इस मामले में, विज्ञापन जारी किए जाने से पहले ही विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए, बोनस अंकों सहित दिशा-निर्देश जारी

कर दिए गए थे, और जैसा कि पहले चर्चा की गई है, उन दिशा-निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

38. इसी प्रकार, राजस्थान राज्य बनाम अर्चना, **(2017) 11 SCC 421** तथा सिविल अपील संख्या **12335 / 2016**, दिनांक **18.01.2022**, मनोज कुमार आचार्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य — ये दोनों निर्णय राज्य द्वारा उद्धृत किए गए थे, लेकिन इनका वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई संबंध नहीं है।

39. यह तर्क कि दिशा-निर्देश सार्वजनिक डोमेन में नहीं था, न ही माननीय एकल न्यायाधीश के समक्ष और न ही खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। किसी भी स्थिति में, वर्तमान मामले के तथ्यों पर यह तर्क हमें प्रभावित नहीं करता। चयन प्रक्रिया को निर्धारित करने वाला दिशा-निर्देश विज्ञापन से पहले जारी किया गया था और यह सभी आवेदकों पर समान रूप से और व्यापक रूप से लागू किया गया था। यहाँ तक कि यदि यह मान भी लिया जाए कि दिशा-निर्देश सार्वजनिक डोमेन में नहीं था, तब भी आवेदकों को कोई क्षति नहीं हुई है। यह एक प्रक्रिया थी जिसे भर्ती प्राधिकरण द्वारा अपनाया गया था और चयन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। अपीलकर्ताओं को बोनस अंक देने की व्यवस्था की वैधता को चुनौती देने का अवसर प्राप्त हुआ था और इस प्रकार उन्हें अपने विवाद व्यक्त करने हेतु मंच प्रदान किया गया था। वे इस प्रक्रिया में असफल रहे। अतः, हम केवल इस कथित आधार पर दिशा-निर्देश को खारिज नहीं कर सकते कि यह सार्वजनिक डोमेन में नहीं था। इसी प्रकार, चूंकि दिनांक 27.05.2008 के दिशा-निर्देश 31.05.2008 के विज्ञापन से पूर्व जारी किए गए थे, इसलिए इस हल्के रूप से प्रस्तुत तर्क में कोई बल नहीं है कि खेल के नियम खेल शुरू होने के बाद बदल दिए गए थे।

40. इस विशेष मामले के तथ्यों के संदर्भ में, और राजस्थान राज्य में शिक्षकों की अनुपस्थिति एवं छात्रों के ड्रॉपआउट जैसी समस्याओं की विशिष्ट प्रकृति तथा उन्हें दूर करने के लिए परियोजनाओं में पैरा-लीगल्स की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए, हम यह पाते हैं कि परियोजना कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदकों को अतिरिक्त अंक प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं है, विशेषकर प्रबोधकों की भर्ती प्रक्रिया में। नियम 13(५) के अंतर्गत वैधानिक नियमों ने यह मान्यता दी है कि परियोजना में कार्यरत आवेदक एक पृथक वर्ग हैं, और उद्देश्य यह था कि उनका अनुभव व्यर्थ न जाए। उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, हम पाते हैं कि बोनस अंक प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं है।

41. उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि इन अपीलों में कोई मेरिट नहीं है, और सभी अपीलें खारिज की जाती हैं, बिना किसी पक्ष को लागत देने के आदेश के। सभी पक्षकार बनाने (impleadment) और हस्तक्षेप (intervention) की याचिकाएँ बंद की जाती हैं।

. न्यायाधीश

(सूर्यकांत)

. न्यायाधीश

(के. वी. विश्वनाथन)

नई दिल्ली;

08 जुलाई, 2024

अनुवादक: एलिज़ा गुप्ता